FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0022 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/01/2026 15:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 21/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:39 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/01/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/01/2026 15:05:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 72 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT BHILAWAT PANCHAYAT SAMITI KISHANGARH-SILORA, JILA AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KISHOR LAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMDEV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHILAWAT, KISHANGARH, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHILAWAT, KISHANGARH, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MOOL SINGH CHARAN		पिता:LATE. VIJAY SINGH CHARAN	1. TRISINGHYA POST PALARA, डीडवाना-कुचामन,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर । विषयः- रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदयजी, उपरोक्त विषय में निवेदन इस प्रकार है कि मैं प्रार्थी किशोरलाल पुत्र श्री रामदेव जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी बावरी मोहल्ला गांव भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर का निवासी हू। मेरे गांव भिलावट में मेरी पत्नि श्रीमति राजूदेवी के नाम से मकान का पटटा बनाने के लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री मूलसिहं को मेरी पत्नि का आधार कॉर्ड, पहचान कॉर्ड, राशन कॉर्ड, बिजली का बिल समस्त कागजात की फोटोप्रति उनको दी थी, जिनके द्वारा मेरी पत्नि के नाम से रसीद संख्या 31 दिनांक 02.10.2024 दी गई थी। लेकिन मेरी पत्नि के नाम आज दिनांक तक मकान का पटटा नही बनाया है। मैं दस-प्रन्दह बार ग्रामसेवक जी के पास जाकर आ चुका हॅू। आज से करीब 15 दिन पहले मै ग्राम पंचायत भिलावट गया तो मेरे को मूलसिंह जी ग्रामसेवक मिले मैनें मेरे पत्नि के नाम मकान का पटटा बनाने के लिये कहा तो मूलसिंह जी ग्रामसेवक ने मेरे से सात हजार रूपये रिश्वत राशि मांगी तथा कहा कि सात हजार रूपये दे देना तेरी पत्नि के नाम मैं पटटा बना दुगां। मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू, बल्कि रिश्वत राशि लेते रंगे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। कार्यवाही करे। भवदीय-एसडी-किशोर लाल पुत्र श्री रामदेव जाति बावरी निवासी बावरी मोहल्ला गांव भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर मोबाईल नम्बर दिनांक 8.1.2026 कार्यवाही पुलिस कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेरदिनांक 08.01.2026 समय 04.00 पीएम पर परिवादी किशोर लाल पुत्र श्री रामदेव जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी बावरी मोहल्ला गांव भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के नाम प्रस्तुत किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के निर्देशानुसार मन् निरीक्षक पुलिस को अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने पर अग्रीम कार्यवाही शुरू की गयी। परिवादी से दरियाफ्त की तो बताया कि " मेरा नाम किशोर लाल पुत्र श्री रामदेव जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी बावरी मोहल्ला गांव भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर का निवासी हू। मेरे गांव भिलावट में मेरी पत्नि श्रीमति राजूदेवी के नाम से मकान का पटटा बनाने के लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री मूलसिहं को मेरी पत्नि का आधार कॉर्ड, पहचान कॉर्ड, राशन कॉर्ड, बिजली का बिल समस्त कागजात की फोटोप्रति उनको दी थी, जिनके द्वारा मेरी पत्नि के नाम से रसीद संख्या 31 दिनांक 02.10.2024 दी गई थी। लेकिन मेरी पत्नि के नाम आज दिनांक तक मकान का पटटा नही बनाया है। मैं दस-प्रन्दह बार ग्रामसेवक जी के पास जाकर आ चुका हॅू। आज से करीब 15 दिन पहले मै ग्राम पंचायत भिलावट गया तो मेरे को मूलसिंह जी ग्राम सेवक मिले मैनें मेरे पत्नि के नाम मकान का पटटा बनाने के लिये कहा तो मूलसिंह जी ग्रामसेवक ने मेरे से सात हजार रूपये रिश्वत राशि मांगी तथा कहा कि सात हजार रूपये दे देना तेरी पत्नि के नाम मैं पटटा बना दुगां। मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू, बल्कि रिश्वत राशि लेते रंगे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। पूछने पर बताया कि मेरी श्री मूलसिंह जी ग्राम सेवक से कोई आपसी रंजिश नही है, एंव ना ही उधार को लेनदेन है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिष्वत राषि मांग का होना पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाया व श्री राजुराम कानि. से कार्यालय अलमारी मे से वॉयस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईस की गई। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 09.01.2026 को श्री मूलसिंह जी ग्रामसेवक पचांयत भवन आयेगे तो मै आपको बता दूंगा। कल मै मूलसिंह जी से बात करके बातचीत को रिकॉर्ड कर लूंगा। श्री राजुराम कानि0 एंव परिवादी श्री किशोरलाल के फोन नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गये तथा आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी को रूख्सत किया गया। दिनांक 09.01.2026 समय 1245 पीएम पर परिवादी श्री किशोर लाल ने जरिये मोबाईल फोन श्री राजुराम कानि0 को बताया कि ग्रामसेवक श्री मूलसिंह जी अभी डयूटी पर ही है। बात हो जायेगी, जिस पर श्री राजूराम कानि0 को कार्यालय अलमारी से वॉर्डस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कॉर्ड देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के पास भिलावट रवाना किया गया। दिनांक 09.01.2026 समय 340 पीएम पर श्री राजुराम कानि0 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये व्हाटसअप कॉल कर बताया कि मैं चौकी से रवाना होकर गावं भिलावट पहुचं कर परिवादी श्री किशोर लाल से मिला जिसने बताया कि श्री मूलसिंह जी ग्रामसेवक थोडी देर पहले पंचायत से निकल गये है, आज वापिस नही आयेगे, आज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता नही हो सकती, जिस पर कानि0 को गोपनीयता रखते हुये चौकी पर उपस्थित होने की हिदायत दी गयी। दिनांक 09.01.2026

समय 600 पीएम पर श्री राजुराम कानि0 उपस्थित चौकी आया एंव बताया कि चौकी से रवाना होकर गावं भिलावट पहुचं कर परिवादी श्री किशोर लाल से मिला जिसने बताया कि श्री मूलसिंह जी ग्रामसेवक थोडी देर पहले पंचायत से निकल गये है, आज वापिस नही आयेगे, आज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता नही हो सकती, जिस पर गांव भिलावट से रवाना होकर चौकी पर आया हूं। वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। दिनांक 12.01.2026 समय 1113 ए.एम. पर परिवादी श्री किशोरलाल ने जरिये व्हाटसअप कॉल श्री राजुराम कानि0 को बताया कि ग्रामसेवक श्री मूलसिंह जी अभी पंचायत में ही है। बात हो जायेगी। समय 11.20 ए.एम. पर श्री राजूराम कानि0 को कार्यालय अलमारी से वॉर्डस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कॉर्ड देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के पास भिलावट रवाना किया गया। समय 03.30 पीएम पर जरिये व्हाटसअप कॉल कर कानि0 श्री राजुराम ने बताया कि चौकी अजमेर से रवाना होकर समय करीब 200 पीएम पर गांव भिलावट पहुंचा जहां पर परिवादी श्री किशोरलाल उपस्थित मिला, और परिवादी ने कहा कि श्री मूलसिंह जी ग्रामसेवक अभी पंचायत में ही है, बातचीत हो जायेगी, जिस पर परिवादी की मोटर साईकिल लेकर पंचायत भवन के पास गोपनीय स्थान पर रूके तथा परिवादी को पुनः वाईस रिकॉर्डर चलाने की प्रक्रिया समझाइश की गयी, समय 215 पीएम पर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू कर मय नया/खाली मैमोरी कॉर्ड देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पंचायत भवन भिलावट रवाना किया, करीब 30 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया तथा वॉईस रिकॉर्डर मेरे को सुपुर्द किया, वॉईस रिकॉर्डर को बन्द किया गया तथा परिवादी ने बताया कि " मै आपके पास से रवाना होकर पंचायत भवन भिलावट पहुचां जहां पर मेरे को श्री मूलसिंह जी ग्राम सेवक मिले तथा मेरे से वार्तालाप की और मेरे से पटटा बनाने के लिये साढे पांच हजार रूपये मांगे तथा रूपये दो दिन बाद देने को कहा " वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के बताये अनुसार कथनो की ताईद हुई, परिवादी ने कहा की दो दिन बाद रूपयो की व्यवस्था हो जाने पर मै आपको बता दुगां, जिस पर अग्रीम कार्यवाही हेतु चौकी पर उपस्थित होने हेतु मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजुराम कानि0 को निर्देश दिये। समय 4.45 पीएम पर श्री राजूराम कानि को जरिये वाट्सएप कॉल निर्देश दिये कि मै गोपनीय कार्यवाही हेतु स्पेशल यूनिट अजमेर जा रही हूं। एसीबी चौकी अजमेर पर उपस्थित आकर वायॅस रिकॉर्डर को अलमारी मे सुरक्षित रखे। दिनांक 16.01.2026 समय 10.20 ए.एम. पर श्री राजुराम कानि0 पर श्री राजूराम कानि0 ने अलमारी में से निकालकर वायॅस रिकॉर्डर बन्द अवस्था में पेश किया। श्री राजूराम ने बताया दिनांक 12.01.2026 को चौकी से रवाना होकर गांव भिलावट पहुचां, जहां पर परिवादी श्री किशोर लाल उपस्थित मिला, और परिवादी ने कहा कि श्री मूलसिंह जी ग्रामसेवक अभी पंचायत में ही है, बातचीत हो जायेगी, जिस पर परिवादी की मोटर साईकिल लेकर पंचायत भवन के पास गोपनीय स्थान पर रूके तथा परिवादी को पुनः वाईस रिकॉर्डर चलाने की प्रक्रिया समझाइश की गयी, समय 215 पीएम पर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू कर मय नया/खाली मैमोरी कॉर्ड देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पंचायत भवन भिलावट रवाना किया, करीब 30 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया तथा वॉईस रिकॉर्डर मेरे को सुपुर्द किया, वॉईस रिकॉर्डर को बन्द किया गया तथा परिवादी ने बताया कि " मै आपके पास से रवाना होकर पंचायत भवन भिलावट पहुचां जहां पर मेरे को श्री मूलसिंह जी ग्राम सेवंक मिले तथा मेरे से वार्तालाप की और मेरे पटटा बनाने के लिये साढे पांच हजार रूपये मागे तथा रूपये दो दिन बाद देने को कहा " वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी एवं श्री राजूराम कानि0 द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई , वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 16.01.2026 समय 228 पीएम पर परिवादी श्री किशोरलाल को श्री राजुराम कानि0 से जरिये व्हाटसअप कॉल अग्रीम कार्यवाही हेतु करवाया तो परिवादी श्री किशोर लाल ने बताया कि मेरे रूपये पैसे की व्यवस्था नही हुई है, मै सोमवार अर्थात 19.01.2026 को रूपयो की व्यवस्था कर आपके ऑफिस आ जाउंगा। दिनांक 19.01.2026 समय 11.30 ए.एम पर परिवादी किशोर लाल कार्यालय मे उपस्थित आया व बताया कि आज आगे की कार्यवाही की जा सकती है। परिवादी को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। दिनांक 19.01.2026 समय 11.45 ए.एम पर आगामी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से अधीक्षण भू वैज्ञानिक विभाग अजमेर के नाम तहरीर लिखी जाकर श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 को रवाना किया गया। दिनांक 19.01.2026 समय 01.10 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 खान एंव भू विज्ञान विभाग अजमेर से दो कर्मचारियों को लेकर उपस्थित आया मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आमदा को अपना परिचय दिया जाकर परिचय पूछा तो अपना परिचय श्री राहुल मुन्दडा पुत्र श्री शिवरतन मुन्दडा, उम्र 33 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी-बी-190, राधा विहार कॉलोनी, हरिभाउ उपाध्याय नगर मुख्य अजमेर, हाल-कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण भू वैज्ञानिक, खान एवं भू-विज्ञान अजमेर व श्री गौरव मीणा पुत्र श्री मदन लाल मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी मीणा कॉलोनी रामगंज, पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर हाल निजी सहायक द्वितीय कार्यालय खान एंव भू विज्ञान विभाग अजमेर के रूप में दिया। मन् निरीक्षक के पास मौजूद परिवादी श्री किशोर लाल का आपस मे गवाहो से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2026 पढकर गवाहो को सुनाया व दिखाया गया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। गवाहान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे हुवे वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को निकालकर वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके वार्ता

के मुख्य-मुख्य अंश गवाहान को सुनाये गये। दिनांक 19.01.2026 समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री किशोर लाल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 12.01.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री राजूराम कानि नम्बर 04 से टाईप कर तैयार करवाई गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित वॉयस रिकार्डर को लैपटॉप से कनेक्ट कर लैपटॉप की सहायता से तीन पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी श्री राजूराम कानि 04 द्वारा मेरे निर्देश में तैयार किये गये। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.डी. अंकित किया गया। दो पैन ड्राईव पृथक-पृथक उन्ही की पैकिंग में रखा जाकर पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.डी. 1 (न्यायालय हेतु) एंव एम.डी 2 (आरोपी हेतु) अंकित किया गया। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में खुली अवस्था में ही सुरक्षित रखा गया । सील्ड शुदा आईटम श्री महेश कुमार हैड कानि. नम्बर 10 को मालखाना में सुरक्षित रखे जाने हेतु सुपुर्द किये गये। अनुसंधान अधिकारी का पैन ड्राईव सुरक्षित पत्रावली में रखा गया। समय 05.10 पी.एम. पर परिवादी श्री किशोर लाल ने आरोपी श्री मूल सिंह ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भिलावट जिला अजमेर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि अपने पास से 500-500 रूपये के 11 नोट, कुल 5,500 रूपये प्रस्तुत किये। जिन पर श्री जितेन्द्र चौधरी सहायक प्रोग्रामर से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर जितेन्द्र चौधरी से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को श्री जितेन्द्र चौधरी से परिवादी किशोर लाल की पहनी हुई जिन्स पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाया गया। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 19.01.2026 समय 05.35 पी.एम. पर परिवादी श्री किशोर लाल ने बताया कि मै एक बार अपने स्तर से मूल सिंह ग्राम विकास अधिकारी के बारे मे जानकारी प्राप्त कर लेता हूं कि वो अभी ग्राम पंचायत भिलावट मे है या नही। श्री किशोर लाल ने मूल सिंह के बारे में मालूम करके बताया कि मूल सिंह आज जल्दी ही गांव से निकल गया है इसलिये ट्रेप की कार्यवाही आज किया जाना सम्भव नही है। जिस पर श्री किशोर लाल की जेब में रखी हुई रिश्वत राशि एक कागज के लिफाफे मे रखवाई जाकर प्राप्त की गई एंव कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखी गयी। परिवादी ने बताया कि मूल सिंह दस बजे के बाद ही भिलावट आता है व बस से अप डाउन करता है। कल ग्राम विकास अधिकारी के ग्राम पंचायत में आने की सूचना पर मै आपको बता दूंगा व आपको मेरे गांव के पास ही मिल जांउगा। दिनांक 19.01.2026 समय 05.50 पीएम पर परिवादी को हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। दोनो गवाहान को कल दिनांक 20.01.2026 को समय 09.30 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। कार्यालय स्टॉफ को दिनांक 20.01.2026 को समय 9.30 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 20.01.2026 समय 09.30 ए.एम. पर दोनो गवाहान कार्यालय मे उपस्थित आये समय 09.52 ए.एम. पर परिवादी श्री किशोर लाल ने श्री राजुराम कानि0 को जरिये व्हॉटसअप कॉल कर बताया कि आज मूलसिंह जी ग्राम सेवक जी के पंचायत समिति मे मीटींग होने से ग्राम पंचायत भिलावट नही आयेगे, इसलिये कार्यवाही आज नही की जा सकती है। कल उनके भिलावट आने की सूचना पर मै आपको बता दूंगा। जिस पर गवाह श्री राहूल मुन्दडा एंव श्री गौरव मीणा को कल दिनांक 21.01.2026 को सुबह 09.30 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्सत किया गया। दिनांक 21.01.2026 समय 09.30 ए.एम. पर गवाह श्री राहूल मुन्दडा एंव श्री गौरव मीणा कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.32 ए.एम. पर परिवादी श्री किशोर लाल ने श्री राजुराम कानि0 को जरिये व्हॉटसअप कॉल कर बताया कि श्री मूलसिंह जी ग्राम विकास अधिकारी भिलावट आ गये है। आज आगे की कार्यवाही की जा सकती है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह गांव भिलावट में ग्राम पंचायत से कुछ पहले उपस्थित मिले। समय 10.40 ए.एम. पर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि मय लिफाफे के निकाली जाकर गवाह श्री राहुल मून्दडा के पास सुरक्षित रखवाई गई। दिनांक समय 10.50 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, मोबाईल फोन मय मैमोरी कार्ड, तथा स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल मून्दडा, श्री गौरव मीणा मय एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री मनोज कुमार नम्बर 01, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहनो से वास्ते ट्रेप कार्यवाही भिलावट की तरफ रवाना हुये। समय 1225 पीएम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गांव भिलावट मे ग्राम पंचायत से कुछ पहले पहुंचे ,जंहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी अपनी मोटर साईकिल से उपस्थित मिला। वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। परिवादी ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी मूल सिंह अभी ग्राम पंचायत में मौजूद है। जिस पर गवाह श्री राहुल मुन्दडा के पास मौजूद लिफाफे में रिश्वत राशि निकाल कर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दांहिनी जेब में कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाई गयी। दिनांक 21.01.2026 समय 1232 पी.एम. पर परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया जाकर उसकी मोटर साईकिल परिवादी व श्री राजूराम कानि0 को रिश्वत राशि देने हेतु पंचायत भिलावट के

लिये रवाना किया जाकर श्री कैलाश चारण हैड कानि व श्री मनोज कुमार कानि. को पैदल-पैदल ग्राम पंचायत भिलावट की तरफ रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो में ही मुकीम रही। समय करीब 12.39 पीएम पर प्राईवेट वाहन में मय हमराहीयान के मुकीम शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को श्री राजूराम कानि 04 द्वारा जरिये वाट्सएप कॉल रिश्वत राशि आदान प्रदान की जानकारी दी जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान श्री राहुल मून्दडा, श्री गौरव मीणा , श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 के ग्राम पंचायत भवन भिलावट पहुंची जंहा पर पंचायत भवन के बाहर की तरफ ही परिवादी श्री किशोर लाल व एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री राजूराम कानि नम्बर 04 व श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 उपस्थित मिले। परिवादी से वायॅस रिकॉर्डर श्री राजूराम कानि द्वारा प्राप्त कर बन्द किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वायॅस रिकॉर्डर को अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री मूल सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे से 5500 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब मे रख लिये तथा अभी वो अन्दर ही अपने कमरे मे बैठे हुये है। मन् निरीक्षक पुलिस ने मय समस्त हमराहीयान के पंचायत भवन के अन्दर प्रवेश कर परिवादी के बताये अनुसार एक कक्ष मे पहुंची जंहा पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसने काले कलर का जैकेट पहना हुआ था। शख्स की तरफ ईशारा परिवादी किशोर लाल ने बताया कि यही ग्राम विकास अधिकारी मूल सिंह है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा शख्स को अपना परिचय देकर परिचय पूछा तो अपना नाम मूल सिंह ग्राम विकास अधिकारी होना बताया। परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछने पर परिवादी से रिश्वत राशि लेने की स्वीकारोक्ति श्री मूल सिंह चारण द्वारा दी गई एंव रिश्वत राशि पहनी हुई पेन्ट की जेब में होना बताया। रिश्वत राशि लेनदेन की पुष्टि होने पर ग्राम पंचायत भवन में रखी हुई पानी की मटकी से पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी मूल सिंह चारण के दोनो हाथो अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी व बाये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी आया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच.-1 , आर.एच.- 2, अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसी प्रकार बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः एल.एच.-1 , एल.एच.- 2, अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी की मूल सिंह चारण की निशादेही से उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह राहुल मून्दडा से लिवाई गई तो 500-500 रूपये के 11 नोट कुल 5500 रूपये निकाले नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना बताया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री राहुल मून्दडा के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री मूल सिंह ने अपना पूरा नाम पता श्री मूल सिंह चारण पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह चारण उम्र 38 साल निवासी गांव त्रिशिंगिया, पोस्ट पलाडा पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भिलावट, पंचायत समिति किशनगढ-सिलोरा जिला अजमेर होना बताया। तत्पश्चात आरोपी के पहनने के लिये एक पेन्ट की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवण लिया जाना है। श्री मूल सिंह चारण के पहनने के लिये एक पेन्ट की व्यवस्था ग्राम पंचायत में ही हो गई। श्री मूल सिंह पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर आरोपी को दूसरी पेन्ट पहनवाई गई। आरोपी की पेन्ट जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, का धोवण लिये जाने हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें ग्राम पंचायत परिसर से साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री मूल सिंह चारण की पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटवाकर डुबाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया गया तो घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो कांच की साफ शिंशियो मे आधा-आधा भरकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्ड चिट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। गवाह श्री राहुल मून्दडा के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की पेन्ट जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को फोल्ड कर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्डचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी की पत्नि से सम्बन्धित पट्टा आवेदन से सम्बन्धित दस्तावेज के सम्बन्ध मे पूछने पर श्री मूल सिंह चारण ने अपनी कार्यालय कक्ष की अलमारी में से श्रीमती राजूदेवी के पट्टा आवेदन से सम्बन्धित सरवर्क मिसल मय दस्तावेज प्रस्तुत किया जिनका अवलोकन किया गया तो श्रीमती राजूदेवी पत्नि श्री किशोर बावरी निवासी भिलावट द्वारा ग्राम भिलावट तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में वार्ड नम्बर 3 में खसरा नम्बर 193 में पुश्तैनी पट्टा प्राप्ति का आवेदन दिनांक 11.06.2025 को

प्रस्तुत किया गया एंव दिनांक 06.10.2025 को फैसला होने का अकंन है। श्री मूल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही दिनांक 08.08.2025 के प्रस्ताव संख्या 5 में इन्हे पट्टा देने की कार्यवाही का अकंन किया गया है कार्य की अधिकता के कारण मै पूरी बैठक कार्यवाही नही लिख पाया। प्रस्ताव संख्या 05 में क्रम संख्या 10 पर राजूदेवी पत्नि किशोरीलाल का अकंन किया गया इसके आगे का अकंन कार्य की अधिकता के कारण मै नही कर पाया था। जिस दिन पट्टा देने की कार्यवाही करता उसी दिन समस्त प्रविष्टि का बैठक रजिस्टर व दस्तावेजात में अकंन कर देता। श्री मूल सिंह चारण ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत शुदा बैठक रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो पृष्ठ संख्या 71 पर दिनांक 08.08.25 को ग्राम पंचायत भिलावट में पाक्षिक बैठक का आयोजन श्रीमती सुशीला देवी की अध्यक्षता मे होने का अकंन एंव प्रस्ताव संख्या 05 पर ग्राम पंचायत की बैठक मे पूर्व में गठित प्रशासक सदस्यो की गठित कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट पर चर्चा हुई तथा सदस्यो ने मौका रिपोर्ट पेश की तत्पश्चात क्रम संख्या 10 राजूदेवी पत्नि किशोर बावरी निवासी भिलावट की प्रविष्टि पेज नम्बर 76 पर है पेज 77 खाली है एंव पेज नम्बर 78 पर दिनांक 20.08.2025 की कार्यवाही का अकंन है जो भी अधूरी है। उक्त बैठक रजिस्टर के प्रथम पेज व बैठक कार्यवाही दिनांक 08.08.25 पेज नम्बर 71,72,73,74,75,76 एंव अगला पेज नम्बर 77 खाली तथा पेज नम्बर 78 बैठक कार्यवाही दिनांक 20.08.2025 की फोटो प्रति प्राप्त की जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्रीमती राजू देवी का पट्टा आवेदन हेतु मिसल कुल पेज 30 के प्रत्येक पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पट्टा आवेदन एंव पट्टा के शुल्क के बारे मे पूछने पर श्री मूल सिंह ने बताया कि पट्टा आवेदन का शुक्ल 70 रूपये है जो इनके द्वारा जमा करवाया जा चुका है एंव पट्टा का शुल्क 700 रूपये है जो पट्टा तैयार होने पर मै इनसे अलग से 700 रूपये प्राप्त कर रसीद देता। पट्टा आवेदन हेतु प्राप्त किये गये शुल्क के सम्बन्ध मे पूछने पर श्री मूल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत भिलावट की बुक नम्बर 02 वर्ष 2024-25 प्रस्तुत की जिसके रसीद नम्बर 31 दिनांक 02.10.2024 को राजूदेवी पत्नि श्रीमती किशोर लाल को पट्टा आवेदन हेतु 70 रूपये शुल्क प्राप्त किये गये है। उक्त बुक के प्रथम एंव रसीद नम्बर 31 की फोटो प्रति प्राप्त की जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री मूल सिंह चारण पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह चारण उम्र 38 साल निवासी गांव त्रिशिंगिया, पोस्ट पलाडा पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भिलावट, पंचायत समिति किशनगढ-सिलोरा जिला अजमेर द्वारा श्री किशोर लाल पुत्र श्री रामदेव जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी बावरी मोहल्ला गांव भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर की पत्नि श्रीमती राजूदेवी का पुश्तैनी पट्टा बनाकर देने की एवज 7000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर दिनांक 12.01.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 5500 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर दिनांक 21.01.2026 को परिवादी से रिश्वत राशि 5500 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रिश्वत राशि रखी, जंहा से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया है जो आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री मूल सिंह चारण को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 से साथ लाये मोबाईल फोन जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर की गई। समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि, हाथ धुलाई एवं जब्ती पृथक से मुर्तिब की गई। समय 440 पीएम पर बाद मौका कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मूलसिंह चारण मय परिवादी मय हमराहीयान स्टाफ एंव गवाहान मय जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डस, मोबाईल फोन ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना एसीबी कार्यालय पहुंची। जब्त शुदा आर्टिकल व वायॅस रिकॉर्डरस, मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। गवाहो के रूख्सत कर दिनांक 22.01.2026 को समय 800 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 22.01.2026 को गवाहो के उपस्थित आने पर परिवादी श्री किशोर लाल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 21.01.2026 को परिवादी किशोर लाल एंव आरोपी श्री मूलसिंह चारण के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड में रक्षित है, को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मेरे निर्देशन में कानि0 राजूराम 04 द्वारा टाईप की गई। आवाज की पहचान परिवादी श्री किशोर लाल द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित डिजीटल वॉयस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर के लेपटॉप की सहायता से तीन पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी कानि0 राजुराम 04 द्वारा तैयार किये गये तथा हैश वैल्यु निकाली गई। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया गया। दो पैन ड्राईव को उन्ही पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 21.01.2025 को आरोपी श्री मूलसिंह चारण ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भिलावट पंचायत समिति किशनगढ-सिलोरा जिला अजमेर के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन कम्पनी सैमसंग में मैमोरी कार्ड 32 जीबी सेनडीस्क कम्पनी लगाकर की गई थी, उक्त विडियो रिकॉर्डिंग के मैमोरी कार्ड को लैपटॉप से कनैक्ट किया जाकर हैश वेल्यू श्री राजूराम कानि नम्बर 04 द्वारा

निकाली जाकर प्रिन्ट प्राप्त किया गया। लैपटॉप की सहायता से मैमोरी कार्ड से तीन पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसी पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क वी अंकित किया गया । उपरोक्त तीन पृथक-पृथक पैन ड्राईव जिसमें विडियो रिकॉर्डिंग को लिया गया है कि हैश वैल्यू पृथक-पृथक निकाली जाकर प्रिन्ट प्राप्त किये गये। दो पैन ड्राईव को उन्ही पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया गया। एक पैन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु उसी पेकिंग मे सुरक्षित रखा गया। समस्त जब्त एंव सील्ड शुदा आर्टिकल जो मालखाना में जमा करवाये जाने है, मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। गवाहो व परिवादी श्री किशोर लाल को रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री मूल सिंह चारण पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह चारण उम्र 38 साल निवासी गांव त्रिशिंगिया, पोस्ट पलाडा पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भिलावट, पंचायत समिति किशनगढ-सिलोरा जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री किशोर लाल पुत्र श्री रामदेव जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी बावरी मोहल्ला गांव भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर की पत्नि श्रीमती राजूदेवी का पुश्तैनी पट्टा बनाकर देने की एवज 7000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर दिनांक 12.01.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 5500 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर दिनांक 21.01.2026 को परिवादी से रिश्वत राशि 5500 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रिश्वत राशि रखी, जंहा से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया है। आरोपी के दाहिने व बायें हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी व पहनी हुई पेन्ट के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है। उपरोक्त आरोपी श्री मूल सिंह चारण पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह चारण उम्र 38 साल निवासी गांव त्रिशिंगिया, पोस्ट पलाडा पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भिलावट, पंचायत समिति किशनगढ-सिलोरा जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(मीरां बेनीवाल) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मूल सिंह चारण पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह चारण उम्र 38 साल निवासी गांव त्रिशिंगिया, पोस्ट पलाडा पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भिलावट, पंचायत समिति किशनगढ-सिलोरा जिला अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 402 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 124-27 दिनांक 23.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDRA SINGH RATHORE **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/01/2026 15:09:11

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)